<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम), अम्बेडकर नगर।</u>

पीठासीनः परविन्द कुमार, उ0प्र0 ''उच्चतर न्यायिक सेवा,

फौजदारी निगरानी सं0 50/2024,

CNR No. UPAN010031702018

Criminal Revision/52/2018

राहुल कुमार उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र देवसरन निवासी ग्राम फुलवारी, पोस्ट दुल्हूपुर, थाना जैतपुर, जनपद– अम्बेडकर नगर।

–––**निगरानीकर्ता।**

प्रति

1. सरकार उ0प्र0 द्वारा कलेक्टर, महोदय अम्बेडकर नगर।
2. रामचेत उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र नामालूम निवासी हुसैनपुर, थाना जहांगीरगंज, जनपद अम्बेडकर नगर व 2 अन्य

––––––––––––––––––––––––––**विपक्षीगण।**

फौ0 निगरानी अन्तर्गत धारा– 397 दं0प्र0सं0
थाना– को0 अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर।

<u>निर्णय</u>

1. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0 429/2017 राहुल कुमार बनाम रामचेत आदि थाना– को0 अकबरपुर, जिला–अम्बेडकर नगर के प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर पारित आदेश दिनांकितः 26.05.2018 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके माध्यम से निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है।

2. आधार निगरानीः

विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.05.2018 को पारित करने में निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 के तथ्यों को पढ़ने समझने एवं निष्कर्ष निकालने में सरीही गलती किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.05.2018 पारित करने में अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.05.2018 पारित करने में न्यायिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.05.2018 पारित करने में दं0प्र0सं0 में दिये गये प्राविधानों का समुचित पालन

Digitally signed by PARVIND KUMAR
Date: 2026.07.27 17:19:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नहीं किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.05.2018 पारित करने में तथ्य एवं परिस्थितियों को बिना दृष्टिगत रखते हुए सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.05.2018 विधिक दृष्टिकोण से शून्य होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार कर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.05.2018 निरस्त कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे। समर्थन में अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.05.2018 की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है।

3. आवेदक द्वारा अवर न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र के कथन इस प्रकार है कि, प्रार्थी की शादी दिनांक 06.07.2016 को शशिकला पुत्री रामचेत के साथ हुई थी। शादी में विदा होकर शशिलता प्रार्थी के घर आयी और इसके बाद बराबर प्रार्थी के घर व मायके आती जाती रही परन्तु कुछ दिनों से प्रार्थी की गरीबी व बेरोजगारी के कारण प्रार्थी की पत्नी प्रार्थी के साथ रहना नहीं चाहती है। दिनांक 17.06.2017 को अपने पिता रामचेत व भाई अजीत व अमित को बुलाकर कुछ अन्य लोगों के साथ अपना सारा सामान लेकर अपने मायके चली गयी। प्रार्थी ने काफी प्रयास किया कि वह विदा होकर प्रार्थी के घर आये व पत्नी धर्म का निर्वाह करे परन्तु जब वह विदा होकर आने को तैया नहीं हुई तो उसकी विदायी हेतु पारिवारिक न्यायालय अम्बेडकर नगर में पारिवारिक वाद सं0 303/17 राहुल बनाम शशिलता दाखिल किया। इस बीच प्रार्थी के ससुर रामचेत उपरोक्त ने गलत तथ्यों के आधार पर महिला थाना अकबरपुर,में प्रार्थना पत्र दिया जिस पर महिला थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को दिनांक 29.07.2017 को बुलाया था। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अन्य अभिकथन करते हुए संबंधित थाने से मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही किये जाने का आदेश दिये जाने की याचना की गयी।

4. सुनवाई के दौरान निगरानीकर्ता अनुपस्थित है। प्रत्यर्थी सं01 की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौ0' उपस्थित। शेष प्रत्यर्थीगण को नोटिस भेजी गयी किन्तु कोई उपस्थित नहीं।

5. प्रत्यर्थी सं01 की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौ0' को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से अवलोकन किया।

6. अमित कपूर–प्रति–रमेश चन्दर एवं अन्य, 2012(3) जे.आई.सी. 772 (एस.सी.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण

क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहॉ पर–

क. जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी है वह बिल्कुल गलत है।

ख. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्राविधानों का पलन नहीं किया गया है।

ग. बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिये गये हैं।

घ. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया है एवं

ड. न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्को के विरूद्ध किया गया था।

7. इसी क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **विनय त्यागी–प्रति– इरशाद अली (2013) एस.सी.सी. 752** के मामले में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सामान्यतः पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार विधि के प्रश्न पर प्रयुक्त किया जाना चाहिए तथापि यदि आक्षेपित आदेश में तथ्य संबंधी निष्कर्ष विकृत होना दर्शित होता है, तब ऐसी दशा में भी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग किया जाना अनुमन्य है, जिससे न्याय की विफलता उदभूत न हो।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रियंका श्रीवास्तव व अन्य–प्रति–उ०प्र० राज्य व अन्य (2015) 6 एस०सी०सी० 287 व सकीरी वसु –प्रति–उ०प्र० राज्य (2008) 2 एस०सी०सी० 409** में यह अवधारित किया गया है कि धारा 156(3) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय दंडाधिकारी को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए व धारा 156(3) दं०प्र०सं० के प्रावधानों के दुरुपयोग के प्रति सचेत रहना चाहिए। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजीव रंजन एवं अन्य–प्रति–विजय कुमार (2015) 1 एस०सी०सी० (क्रिमि०) 714** में यह अवधारित किया गया है कि न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दाण्डिक अभियोजन का उपयोग एक उपकरण होने के रूप में या व्यक्तिगत प्रतिशोध अथवा विपक्षी पर दबाव डालने के लिए परवर्ती हेतुक के साथ नहीं किया जाना चाहिए।

9. दं0प्र0सं0 की धारा 397/399 के अनुसार, परीक्षण न्यायालय को अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता, शुद्धता एवं औचित्य के बारे में कार्यवाहियों में नियमितता का परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

10. उक्त के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता की तरफ से प्रस्तुत प्रथम फौ0 निगरानी सं0 50/2018 संस्थित किया गया है। उक्त प्रश्नगत दाण्डिक परीक्षण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर

द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0 429/2017 राहुल कुमार बनाम रामचेत आदि के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 26.05.2018 से क्षुब्ध होकर संस्थित किया गया है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना करने से पूर्व धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर इस प्रश्न का कि, क्या मजिस्ट्रेट को धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर पुलिस जांच तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु आदेशित करना चाहिए अथवा नहीं? को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ द्वारा निर्णय **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि 2007 (59) एसीसी पेज– 739** से शिथिल कर दिया है। उक्त विधि व्यवस्था में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक 156(3) दं0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र पर एफ0आई0आर0 दर्ज करते हुए पुलिस जांच का आदेश पारित किया जाये। अन्यथा उक्त का प्रभाव यह होगा कि मात्र शिकायत के आधार पर बिना मजिस्ट्रेटी विवेक के प्रत्येक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 स्वीकृत होने लगेंगे तथा ऐसी स्थिति को दाण्डिक प्रक्रिया संहिता के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है।

12. प्रस्तुत मामले में अगला प्रश्न यह देखा जाना है कि क्या प्रश्नगत आदेश विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश सरसरी तौर पर बिना विवेक के पारित कर दिया गया था अथवा नहीं? प्रश्नगत आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि, ''प्रार्थी के कथनानुसार, उसका उसकी पत्नी से पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तथा महिला थाना में भी मुकदमा दर्ज होना बताया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पत्नी के पिता व पत्नी के भाइयों द्वारा आवेरटेक करके मार पीट किया जाना व मोटरसाइकिल छीना जाना कहा गया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया गया है कि उसके साथ विपक्षीगण द्वारा किस दिनांक को एवं किस समय पर मार पीट किया गया अर्थात् किस दिनांक व समय पर घटना कारित किया गया। प्रार्थना पत्र के परिशीलन से स्वयं यह स्पष्ट है कि पक्षकारों में पूर्व से विवाद चल रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण द्वारा उसे व उसके पिता को लात मूका से काफी मारा पीटा जाना कहा गया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में कोई चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि घ ाटना को प्रथम दृष्टया संदिग्ध बनाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा मात्र परिवारिक वाद में दबाव बनाने के लिए विधिक राय लेकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आगे विद्वान अवर न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए आवेदक का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।''

13. उक्त के अधीन किये गये कथनों के आधार पर पारित किये गये प्रश्नगत

आदेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक प्रश्नगत आदेश तथ्य अथवा विधि से पूर्णतः परे होते हुए विकृत (Perverse) न हो, तब तक उक्त आदेश को अस्थिर नहीं करना चाहिए।

14. उक्त के अधीन यह न्यायालय निगरानीकर्ता के इस कथन कि प्रार्थना पत्र में किये गये प्रथम दृष्टया संज्ञेय एवं गंभीर अपराध के कथनों मात्र से ही धारा 156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था। ऐसे में यह न्यायालय सहमत नहीं है तथा उक्त तर्क माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ द्वारा अपने निर्णय उपर्युक्त **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** से शिथिल कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप प्रस्तुत निगरानी में कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

15. उपर्युक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.05.2018 विधि अनुसार गुण– दोष के आधार पर पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता व्याप्त नहीं है एवं किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार निरस्त होने योग्य है।

आदेश

16. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका सं0 50/2018, राहुल कुमार बनाम राज्य आदि निरस्त की जाती है।

17. प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाये।

दिनांकः–27.07.2026

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित–प्रथम)
अम्बेडकर नगर।
I.D.No.UP01837

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–27.07.2026

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित–प्रथम)
अम्बेडकर नगर।
I.D.No.UP01837